न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्याः–37/प्रा0पत्र/2022 (GCMS NO.2022/75) दायरा दिनांक :– 07.03.2022

1. भंवरलाल माता देव बाई जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)–मृतक
   1/1 रामलाल आ0 भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   1/2 धनराज आ0 भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   1/3 जुगराज आ0 भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   1/4 जोधराज आ0 भंवरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. रामफूल माता देव बाई जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारीलाल आ0 कालूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. नटी बाई पत्नि हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. फोरी बाई पूत्री कालूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. भंवरीबाई आ0 कालूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. बलवंत सिंह आ0 जगतार सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
6. मलकीत सिंह आ0 जगतार सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम मौहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा देई जिला बून्दी राज0
8. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला–बून्दी।

प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 251 'क' आर.टी.एक्ट.

वकील प्रार्थीः– श्री हसन मियां
वकील अप्रार्थी :– श्री राजेन्द्र नागर

निर्णय दिनांक :– 17.01.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मौहब्बतपुरा पटवार हल्का बंसोली तहसील नैनवां की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 103 के खसरा संख्या 109 रकबा 2.7344 हेक्टर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण की 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीगण हिस्से मुताबिक भूमि पर कृषि काश्त करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि आने जाने का एक मात्र देई से बून्दी जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर खसरा संख्या 116 जो कि सिवायचक भूमि है मे होता हुआ खसरा संख्या 115 व खसरा संख्या 117 की मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 113 व खसरा सख्या 114 की मध्य मेर पर होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि पर जाता है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने खेत आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के रूप में रास्ते का लगातार उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि प्रार्थीगण उक्त प्रकार से रास्तानुसार अपनी भूमि पर आने जाने के लिए वर्षो से रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज नही होने से प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4, प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने में आना कानी करने लगे तथा एक माह पूर्व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 ने प्रार्थीगण को उक्त रास्ते में होकर निकलने से साफ मना कर दिया और कहा कि तुम इस रास्ते पर होकर आये तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड देंगे तब प्रार्थीगण, अप्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 से कहा कि तुम भी सिवायचक भूमि खसरा संख्या 116 में होकर खसरा संख्या 117 में होते हुए तुम्हारे खेत पर आते हो और हम भी इसी प्रकार रास्ते का उपयोग उपभोग कर इसी रास्ते से आते जाते है तो प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 कहने लगे कि खसरा संख्या 116 व खसरा संख्या 117 में होकर हमारे खातेदारी की भूमि तक पहुंचने के लिए हमने प्रशासन गांव के संग अभियान में हमारे नाम रास्ता दर्ज करवा लिया है इसलिए इस रास्ते का

उपभोग हम ही करेंगे, तुम्हे इस रास्ते से नही जाने देंगे। यह रास्ता सरकारी रास्ता नही है बल्कि हमारा निजी रास्ता है तथा उक्त रास्ते को कांटो की बाड लगाकर अवरूद्ध कर दिया है तथा प्रत्यार्थीगण 5 लगायत 6 भी कहने लगे कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 जब तुम्हे निकलने नही दे रहे है तो हम भी अब तुम्हे यहां होकर निकलने नही देंगे। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है।

प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए स्थान पर कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर जाने का रास्ता भूमि खसरा संख्या 116 में होता हुआ भूमि खसरा संख्या 115 एवं 117 के मध्य की मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 123 में से खसरा संख्या 114 की दक्षिणी मेर के साथ होता हुआ खसरा संख्या 109 मे पहुंचता है। इसी रास्ते को प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग करते चले आ रहे है। यह कि अगर परिशिष्ट अ के अनुसार रास्ता दिया जाता है तो प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि दो भागों में विभाजित हो जावेगी जिससे प्रत्यार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पडेगा। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण भंवरलाल वगै. द्वारा ग्राम मौहब्बतपुरा के खसरा संख्या 109 पर पहुंचने हेतु खसरा संख्या 113 व 114 में से होकर रास्ता चाहा गया है जो मुताबिक रिकॉर्ड नक्शा में दर्ज नही है। यह कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। साथ ही जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है वह निकटतम है। यह कि चाहा गया रास्ता का विवरण निम्नानुसार है–

ख0न0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	चौडाई	क्षैत्रफल
114	नटीबाई वगै (खातेदारी)	बारानी 3	9 गट्ठा अर्थात 59 फीट	1.5 गट्ठा 10 फीट	13.5 वर्गगट्ठा 590 वर्गफीट अर्थात 0.005486 हैक्ट.
114	नटीबाई वगै (खातेदारी)	बारानी 3	112 गट्ठा अर्थात 739 फीट	1.5 गट्ठा 10 फीट	168 वर्गगट्ठा 7390 वर्गफीट अर्थात 0.068724 हैक्ट
113	नटीबाई वगै (खातेदारी)	बारानी 3	112 गट्ठा अर्थात 739 फीट	1.5 गट्ठा 10 फीट	168 वर्गगट्ठा 7390 वर्गफीट अर्थात 0.068724 हैक्ट.

कुल क्षैत्रफल – 349.5 वर्गगट्ठा या 15370 वर्गफीट या 0.142934 हैक्टयर

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है तथा प्रस्तावित किया गया रास्ता निकटतम है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वास्ते रास्ता दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम मौहब्बतपुरा के खसरा संख्या 109 पर पहुंचने हेतु खसरा संख्या खसरा संख्या 114 एवं खसरा संख्या 113 में से तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित लम्बाई एवं चौडाई का रास्ता, प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

(सीमा मीणा)
आर0ए0एस(प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

नकल नक्शा ट्रेश ग्राम - मोहब्बतपुरा तहसील - नैनवां जिला - बून्दी (राज०)

पैमाना - 1 इंच = 2 जरीब

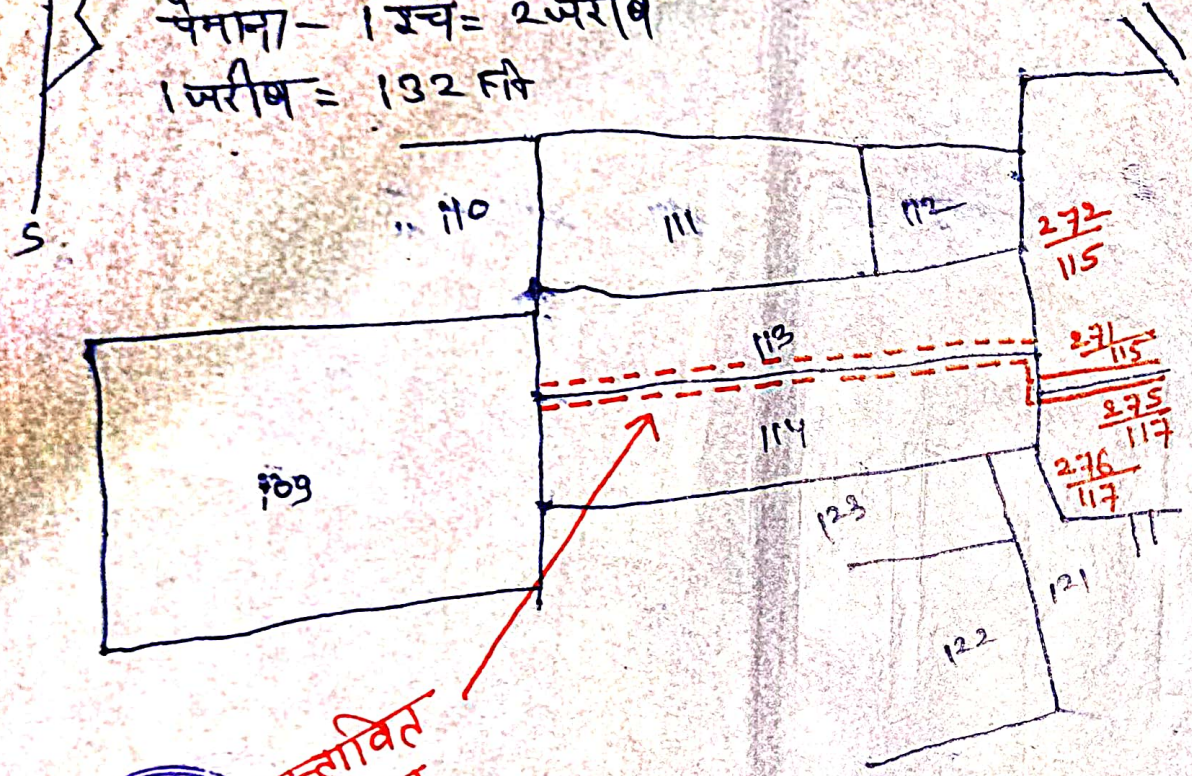

1 जरीब = 132 फीट

परिशिष्ट - "क"

पटवारी द्वारा तैयार व तिलिपि

पट हल्का

17/01/25

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

पटवारी

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)